न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 167/2016

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1 चम्पालाल पुत्र अमराराम जाति मेघवाल निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	1 नेमाराम पुत्र चौथाराम जाति जाट निवासी आलावास तहसील सोजत जिला पाली (राज0) 2 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री जींवराज सिंह लखावत, श्री लक्ष्मण मेघवाल व श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री विनोद वैष्णव, श्री गोपाल सांखला, श्री गजेन्द्र सोनी , श्री गिरीशनारायण व श्री रमेश टांक अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः— 05/03/2021

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट 1955 के तहत इस आधार पर प्रस्तुत किया कि सहहद मौजा आलावास तहसील सोजत में स्थित ख0नं0 381 रकबा 2.5100 है0 किस्म बारानी अव्वल स्थित है, जो कृषि भूमि प्रार्थी के पूर्वजो के समय के चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि है। इसके चारों ओर सदीयों पुराना पाला (धोरा) लगा हुआ है तथा आपसी भाई बंटवाडा अनुसार उक्त कृषि भूमि प्रार्थी चम्पालाल के हिस्से में स्थित है। समय—समय पर प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने हुतु ट्रेक्टर इत्यादि चलाकर उबड खाबड़ कृषि भूमि को समतल करवाया गया तथा वर्तमान में दक्षिण दिशा की तरफ आधे खेत में मेहन्दी की फसल बोई हुई है, तथा उतर की तरफ आधे हिस्से में सावणु फसल बोई हुई है। जिनमें तिली, मुंग, मोठ, बाजरी, ज्वार, ग्वार इत्यादि फसले बोई जाती है तथा वर्तमान में ग्वार की फराल खड़ी है। प्रार्थी की कृषि भूमि के चारों ओर पुराना धोरा तथा धोरे पर पुरानी बाड़ की हुई है तथा मौके पर करीबन 150 पत्थर की पट्टीयॉ रोपी हुई है। जिस पर चारों ओर पुरानी तारबंदी की हुई है, ताकि फसल की सुरक्षा हेतु आवारा पशु वगैरा अन्दर नही आ जा सके। प्रार्थी के खेत ख0नं0 381 के पश्चिम दिशा की तरफ अप्रार्थी सं0 1 नेमाराम की कृषि भूमि स्थित है, जिसके खसरा नम्बरान 380 व 379 है। जिन दोनों खसरो में मेहन्दी की फसल बोई हुई है तथा खसरा नबंर 379 के चिपते ही ख0नं0 374 की कृषि भूमि स्थित है, जो अप्रार्थी संव 1 के भाई देवाराम, हरिराम, अचलाराम की है। जिसके ख0नं0 374 के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे अप्रार्थी संख्या 1 नेमाराम के दोनों खेत ख0नं0 379 व 380 में आना जाना रहता है तथा दूसरी तरफ ख0नं0 279 गैर मुमकिन रास्ता है, जो रास्ता आलावास गांव से आगे खेतों मे आता जाता है, जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं मोके पर चालू है। जिसके साथ लगते ही ख0नं0 374, 379 व 380 अप्रार्थी एवं उनके भाईयों का खेत है तथा इसी रास्ते से अप्रार्थी का आना जाना रहता है। फसल काटने, लाने ले जाने आदि का कार्य अप्रार्थी द्वारा किया जाता है तथा पीढियों से अप्रार्थी के पूर्वज भी इसी रास्ते से होकर ख0नं0 374 के सहारे सहारे आता जाता रहा है। किसी भी व्यक्ति को नया रास्ता कायम करने का अधिकार नही है तथा राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी के खेत ख0नं0 381की उतरी माठ के सहारे सहारे नया रास्ता कायम करने का अधिकार नही है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में से होकर अप्रार्थी को नया रास्ता नही दिया जा सकता है, तथा तहसीदार सोजत को भी नया रास्ता कायम करने का अधिकार नही है। जब कोई सुखाधिकार भी प्राप्त नही है, रास्ता भी नही है, तो नया रास्ता कायम करने का अधिकार नही है। कभी भी रास्ता नही था, तहसीलदार सोजत को भी अप्रार्थी के दबाव प्रभाव में आकर राजनैतिक दबाव से प्रार्थी को परेशान करने की नियत से जबरन नया रास्ता निकालने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी नेमाराम के पूर्वजो के समय से उसके पूर्वज एवं नेमाराम स्वयं अर्से दुराज से आज दिन तक ख0नं0 374 के दक्षिणी माठ से होकर हमेशा ट्रेक्टर मजदूर आदि से

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

अपने खेत ख0नं0 379 व 380 में आता जाता रहता है तथा उसका रास्ता भी यही है। केवल प्रार्थी को परेशान करने की नियत से धन बल एवं राजनैतिक पहूँच के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता कायम करना चाहता है तथा अपने भाईयों की कृषि भूमि में से होकर नही चाहता है, उसके भाईयों ने भी आने जाने हेतु नही रोका है, फिर भी प्रार्थी को परेशान किया जा रहा है, जबकि अप्रार्थी का यहॉ रास्ता है तथा अप्रार्थी का अल्टरनेटिव रास्ता भी यही है। अप्रार्थी संख्या 1 नेमाराम प्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से आलावास गांव में जाट समुदाय का बाहुल्य होने के कारण सभी एक दूसरे के आपसी रिश्तेदार होने के कारण जबरन प्रार्थी के खेत ख0नं0 381 के उतरी माठ के सहारे–सहारे नया रास्ता कायम करना चाहते है। जिससे बार–बार प्रार्थी को तंग व परेशान किया जाता है। अगर अप्रार्थीगण नया रास्ता निकालने हेतु उतारू है, तथा प्रार्थी की लाखों रूपये की कृषि भूमि खराब हो जायेगी तथा अनुपयोग हो जायेगी। जबकि प्रार्थी के खेत ख0नं0 381 क एवं ख0नं0 382 के बीचो बीच पुराना धोरा पाली लगी हुई है तथा मौके पर पुरानी पट्टीयां रोपी हुई है तथा तारबंदी की हुई है। ख0नं0 382 के खातेदार मगाराम एवं थानाराम है। अगर अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी के खेत ख0नं0 381 के उतरी तरफ नया रारता निकालने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को लाखों रूपये की अपूर्णिय क्षति होगी तथा प्रार्थी की कृषि भूमि खेत के लायक नही रहेगी। ख0नं0 381 प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है। राजस्व रेकर्ड में भी कोई नया रास्ता कायम नही है और न ही किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष है, प्रार्थी की कृषि भूमि सरहद मौजा आलावास के ख0नं0 381 रकबा 2.5100 है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि के चारों ओर सदीयो पुराने धोरा पाली लगे हुए है, जिस पर चारों ओर पत्थर की 150 पट्टीयां रोपी हुई है तथा मौके पर तारबंदी की हुई है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 जबरन प्रार्थी के खेत के उतर दिशा की तरफ नया रास्ता निकालने में सफल होता है तो प्रार्थी को लाखो रूपये की अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों पैसा में नही आंका जा सकता है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार किये जाने तथा अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद के जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जाने की सरहद मौजा ग्राम आलावास तहसील सोजत के वर्तमान ख0नं0 381 रकबा 2.5100है0 किस्म बारानी अव्वल की कृषि भूमि के चारों ओर लगे पुराने धोरा पाली एवं उसके पर लगी हुई पट्टीयां नही हटावे न ही तोड़े एवं बाड़, तारबन्दी नहीं हटावे एवं कोई किसी प्रकार का नुकसान कारित नही करे। प्रार्थी के खेत के उतर दिशा की तरफ किसी प्रकार का कोई नया रास्ता कायम नही करे, एवं न ही अन्य किसी नौकर एजेन्ट इत्यादि से कराने हेतु जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है। दिनॉक 02.11.2016 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी जाकर ख0नं0 381 रकबा 02=5100 है0 बा0अ0 भूमि की मौके यथास्थिति बनाये रखने हेतु आगामी आदेश अप्रार्थीगण को पावन्द किया गया।

दिनॉक 23.06.2017 को अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पैरा नम्बर 1 में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी का दावा सफल होने योग्य नही है। जवाब में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी की भूमि के चारों तरफ धोरा लगा हुआ नही है व उपरोक्त कृषि भूमि जो बतायी जा रही है, उसमे से होकर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत मे जाने का रास्ता है। जिस रास्ते को बन्द करने व रास्ते में अवरोध पैदा करने की नियत से गलत एवं झुठा दावा पेश किया गया है। यह भी वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है कि सिर्फ रास्ता बन्द करने की नियत से पत्थर की पट्टियों रोपने व तारबन्दी का उल्लेख किया गया है, जबकि ऐसा नही है। यह तथ्य वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है कि अप्रार्थी के खेत में जाने का रास्ता प्रार्थी द्वारा बताये गये स्थल से न होकर प्रार्थी जिस भूमि का दावा किया है, वह भूमि खसरा नम्बर 381 में से होकर रास्ता है। अप्रार्थी के परिवार के सदस्यों की भूमि बतायी जा रही है, उसमें से कोई रास्ता नही है। इस संबंध में माननीय हाईकोर्ट तक प्रार्थी ने कार्यवाही की जो खारिज हुई है व प्रार्थी द्वारा बताये गये ख0नं0 381 में से होकर की अप्रार्थी का रास्ता ख0नं0 389 में जाने का माना गया है व जिस संबंध में अलग अलग न्यायालयों से अप्रार्थी के पक्ष में

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

निर्णय हुए, जो निर्णय अंतिम हो चुके है। प्रा0पत्र में वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है कि रास्ता अप्रार्थी के खेत में जाने का ख0नं0 381 में से होकर है व उस रास्ते को कायम मानते हुए अन्य न्यायालय से फैसला हो चुका है जिसमें रास्ता अप्रार्थी के खेत में जाने का खसरा नम्बर 381 में से होकर माना गया है। इसलिये दावा काबिल खारिज है। यह भी तथ्य वर्णित कथन गलत एवं असत्य होने से अस्वीकार है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नही है, न ही पत्थर की पट्टिया व तारबन्दी व रास्ता कायम करने का आदेश दिया जा चुका है। इसलिये अब प्रार्थी इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का अधिकारी नही है। विशेष आपति कर अंकित किया कि ख0नं0 381 में से होकर अप्रार्थी के खेत में जाने का फैसला माननीय हाईकोर्ट तक हो चुका है इसलिये रेसजुडिकेटा के सिद्वान्त यानि धारा 11 सी.पी.सी के तहत प्रार्थी का दावा चलने योग्य नही है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.07.2007 को रास्ता ख0नं0 380 में से माना, जिसकी अपील जिला कनेक्टर महोदय के यहां की गई, जो भी दिनांक 03.09. 2007 को खारिज हुई व जिला कलेक्टर साहब के फैसले के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी की गई जो दिनांक 04.01.2012 को खारिज हुई, जिसके विरूद्व रीट की गई उक्त रीट दिनांक 16.01.2014 को खारिज हुई। जिसकी डी.बी. में स्पेशल अपील की गई, जो दिनांक 23.09.2016 को खारिज हुई। इस प्रकार फैसला रास्ते का ख0नं0 380 में से होकर अंतिम हो चुका है। इस प्रकार जवाब प्रा0पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर दावा प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है। जिससे प्रार्थना–पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जाने की ईश्तदुआ की है।

दिनॉक 26.09.2017 को प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सपठित आदेश 39 नियम 7 सी0पी0सी0 तथा धारा 151 सी0पी0सी0 का जवाब प्रा0 पत्र पेश करना नहीं चाहने पर जवाब दिनॉक 30.10.2017 बन्द किया गया। दिनॉक 01.11.2017 को बहस उभयपक्ष वकुलाय जाकर उक्त प्रा0पत्र बाबत मौका कमीश्नर रिपोर्ट मंगवाने सारहीन एवं तथ्यहीन होने से विस्तृत आदेश लिखवाया जाकर खारिज किया गया, सा0मि0 है। दिनॉक 02.11.2016 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को प्रस्तुत प्रा0 पत्र पर बाद उभय पक्षो की सुनवाई खारिज किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई निगरानी संख्या 6558/17 के निर्णय दिनॉक 28.05.2018 अनुसार प्रस्तुत उक्त निगरानी सारहीन होने से खारिज की गई। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय पाली के न्यायालय में प्रस्तुत उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तत्कालीन पीठासीन अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी सोजत) का तबादला अन्यत्र हो जाने से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र सारहीन मानते हुये खारिज किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित 151सी0पी0सी0 बाद विधिक सुनवाई उभयपक्ष खारिज योग्य होने से दिनांक 29. 10.2018 को खारिज किया गया।

बहस प्रा0पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 वकुलाय सुनी गई एवं समायत की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि मौजा आलावास के ख0नं0 381 रकबा 2.5100 है0 किस्म बारानी अव्वल की प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर लगे सदियो पुराने धोरा पाली रोपे हुये पत्थर की पट्टियां को नही हटाये जाने तथा प्रार्थी के खेत के उत्तर दिशा की तरफ नया रास्ता निकालने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक रोके जाने की ईश्तदुआ की है। अपने कथनो के समर्थन में क्रमशः आर0आर0डी0 1975 पेज 413, आर0आर0डी0 1980 पेज 473 से 476, आर0आर0डी0 1982 पेज 354 से 357, डी0एन0जे0 2013 पेज 39 से 41, आर0आर0टी0 2016(2) पेज 815 से 817, आर0आर0टी0 2016(2) पेज 1323 से 1326, आर0आर0टी0 2016(1) पेज 649 से 651, डी0एन0जे0 2017 (1) पेज 454 से 456, डी0एन0जे0 2017 (1) पेज 37 से 40, डी0एन0जे0 2017 (Rev) पेज 1 से 4, डी0एन0जे0 2017(Rev) पेज 127 से 131, डी0एन0जे0 2017 पेज 131 से 132, आर0आर0टी0 2017 पेज 243 से 245 न्यायिक दृष्टान्त/उद्वरण पेश किये है। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने व्यक्त किया कि मूल वाद व उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गलत आधारो युक्त असत्य पेश किया है। विवादग्रस्त भूमि के चारो ओर पाला लगाने के तथ्य गलत है। अप्रार्थी सं0 01 के खेत में जाने का रास्ता है जिससे बन्द करने की नियत से पट्टिया रोपने व तारबन्दी करने का उल्लेख किया है, ख0नं0 381 मे से होकर रास्ता है। अप्रार्थी के परिवारिक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

सदस्यो की भूमि में कोई रास्ता नही है। ख0नं0 381 में से होकर अप्रार्थी का ख0नं0 380 में जाने का रास्ता हाईकोर्ट ने माना है। जिसकी अपील जिला कलेक्टर महोदय के यहां पर होने पर दिनांक 03.09.2007 को खारिज हुयी कि निगरानी राजस्व मण्डल में 04.01.2012 को खारिज हुयी। उक्त निगरानी निर्णय के विरूद्व दायिर रीट 16.01.2014 को खारिज होने पर डी0बी0 में अपील की गई, दिनांक 23.09.2016 को खारिज हुयी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रा0पत्र अधिवक्ता प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1, दस्तावेजात एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त/उद्वरणो आदि दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का बतौर खातेदार काश्तकार नाम अंकित है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रस्तुत प्रा0पत्र में अधिवक्ता मय अप्रार्थी ने मौके पर रास्ता होने के ठोस दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नही किया है। मूल वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है, जिसमें जवाब दावा पेश होकर तनकियात विवेचित कर साक्ष्य सबूतो के दस्तावेजात के आधार पर विधिक न्यायिक निर्णय विनिश्चित किया जावेगा। वस्तुतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बाद विनिश्चय विवादस्थ भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है जिसकी मौके की यथास्थिति वाद निर्णय तक बनाये रखने हेतु उभय पक्षो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर0टी0एक्ट 1955 का इस आशय का स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा आलावास मे स्थित प्रार्थी की विवादस्थ खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 381 रकबा 2.5100 है0 किस्म बा0अ0 की वर्तमान मौके की यथास्थिति(Status Quo) बनाये रखने हेतु अधिवक्ता मय उभयपक्षो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम है। बाद तकमील जाब्ता मूलवाद के साथ नत्थी हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक ०५/०३/१५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner